

देश-देशांतर: जन प्रतनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती; एक उम्मीदवार-एक सीट

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

चुनाव का अधिकार ही वह अधिकार है, जो लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर करता है। भारतीय चुनाव व्यवस्था में किसी एक प्रत्याशी को कई सीटों से चुनाव लड़ने की छूट है, लेकिन अब चुनाव आयोग इस प्रकार की व्यवस्था को खत्म करने का मन बना चुका है।

हाल ही में किसी भी प्रत्याशी के एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए चुनाव आयोग ने 'एक उम्मीदवार-एक सीट' पर चुनाव लड़ने का समर्थन किया।

मामला क्या है?

- इस मामले में याचिकाकर्ता (भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय) ने जनहति याचिका दाखल कर जन प्रतनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती देते हुए अपील की है कि संसद या विधानसभा सहित सभी स्तरों पर प्रत्याशी केवल एक ही सीट से चुनाव लड़े।
- धारा 33(7) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ सकता है।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, ए.एम. खानवलिकर और डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में भारत के अटार्नी जनरल को अपनी राय देने का नरिदेश दिया है।

क्या है चुनाव आयोग का रुख?

- 1996 से पूर्व कोई प्रत्याशी कतिनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था।
- वर्तमान में कोई भी प्रत्याशी लोकसभा तथा विधानसभा के लिये दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है और दोनों जगह से जीतने पर एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है।
- चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि जब एक प्रत्याशी दो सीट पर चुनाव लड़ता है, तो वह दूसरी सीट से इस्तीफा दे देता है, जिसके कारण वहाँ पर दोबारा चुनाव होता है और खर्चा बढ़ता है।
- इससे पहले चुनाव सुधार की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को अपनी सफारिश में कहा था कि एक प्रत्याशी को दो सीटों से चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिये। एक उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने का प्रावधान समाप्त किया जाए।
- चुनाव आयोग ने कहा कि यदि सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की ज़िम्मेदारी सीट छोड़ने वाले प्रत्याशी पर डाली जाए।
- विधानसभा व विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख रुपए और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिये। सरकार इसे समय-समय पर बढ़ा सकती है।
- दो सीटों पर चुनाव लड़ने से संसाधन की बर्बादी होती है क्योंकि 6 महीने के अंदर एक सीट खाली करनी ही होती है।

चुनाव कौन लड़ सकता है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(क) में यह परिकल्पित है कि कोई व्यक्ति संसद में सीट को भरने के लिये चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। संविधान के अनुच्छेद 173(क) में राज्य विधानसभाओं के लिये इसी प्रकार का प्रावधान है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ख) में यह प्रावधान है कि लोकसभा नरिवाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। लोक प्रतनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 36(2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 173(ख) के द्वारा विधानसभाओं के अभ्यर्थी होने के लिये यही प्रावधान है।
- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(घ) व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है जब तक कि वह किसी संसदीय नरिवाचन क्षेत्र में एक नरिवाचक न हो।
- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5(ग) में विधानसभा नरिवाचन क्षेत्रों के लिये यही प्रावधान है।
- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(C), 4(CC) तथा 4(CCC) के अनुसार असम, लक्षद्वीप तथा सक्किम को छोड़कर कोई भी मतदाता देश में किसी भी नरिवाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- जन प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा दी गई है, तो वह चुनाव लड़ने के लिये अपात्र होगा।

- यद्यपि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होने के पश्चात् जमानत पर है, तथा उसकी अपील नपिटान के लिये लंबित है, तो उसे भारत नरिवाचन आयोग द्वारा जारी किये गए दशा-नरिदेशों के अनुसार चुनाव लड़ने से नरिहति कथिा जाता है ।
- जन प्रतनिधित्व, अधनियम, 1951 की धारा 62(5) के अनुसार, जेल में बंद कोई भी व्यक्ति नरिवाचन में मत नहीं डालेगा, चाहे वह कारावास की सज़ा के अधीन हो या देश नकाला हो या पुलसि की कानूनी हरिसत में हो ।

चुनाव सुधारों पर वधिआयोग की रपिरट

मार्च 2015 में वधिआयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 211 पन्नों की 255वीं रपिरट सरकार को सौंपते समय चुनाव सुधार के अनेक उपाय सुझाए थे । इससे पहले भी चुनाव सुधारों पर वधिआयोग ने अपनी एक अन्य रपिरट राजनीतिका अपराधीकरण रोकने के लिये दागयिों को चुनाव से बाहर रखने के बारे में दी थी ।

- वधिआयोग ने उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने और नरिदलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रतबिधति करने का सुझाव दथिा था । इसके लिये जन प्रतनिधित्व कानून की धारा 33 (7) को संशोधति करने की बात कही, जसिमें अभी उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमतति है ।
- मौजूदा व्यवस्था में चुनाव में बड़ी संख्या में नरिदलीय उम्मीदवार उतरते हैं, जनिमें से अधिकतर डमी उम्मीदवार होते हैं तथा कई तो एक ही नाम के होते हैं जनिका उददेश्य मतदाताओं में भ्रम फैलाना होता है ।
- वधिआयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य आयुक्तों की नयिकृतयिों नरिवाचन मंडल (कॉलेजियम) के ज़रयि करने की सफिरशि की थी ।
- चुनाव में शुचतिा बरकरार रखने के लिये सदन का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से छह महीने पहले से ही सरकार प्रायोजति वजिजापनों पर प्रतबिध लगाया जाए ।
- फलिहाल उम्मीदवारों को नामांकन के दनि से चुनाव परणाम आने तक अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा देना होता है, लेकिन इस अवधि को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है । उम्मीदवारों अथवा उनके चुनाव एजेंटों से अधसिूचना जारी होने के दनि से परणाम आने के दनि तक का चुनावी खर्चों का हसिाब मांगा जाना चाहयि ।
- चुनाव खर्चों का बय़ोरा नहीं देने वाले उम्मीदवारों को तीन साल के बजाय पाँच साल के लिये चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने की सफिरशि की गई । इससे ऐसे उम्मीदवार कम-से-कम अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ।
- कसिी राजनीतिका दल को कंपनी की ओर से चंदा दथि जाने की अनुमतति से संबंधति प्रावधानों को संशोधति करने के लिये कंपनी अधनियम में संशोधन की सफिरशि भी की । इसके लिये नरिदेशक मंडल की बैठक के बजाय कंपनी की वार्षिका आमसभा में फैसला लथिा जाना चाहयि ।
- कानून में बदलाव करके नरिवाचन आयोग में पंजीकृत पार्टयिों को ही लोकसभा और वधिानसभा के चुनाव लड़ने की अनुमतति देने की सफिरशि की गई थी । इसके लिये जन प्रतनिधित्व कानून की धारा 4 और 5 में संशोधन का सुझाव दथिा गया ।
- वधिआयोग अनविरय्य मतदान को लागू करने के पक्ष में नहीं है । आयोग ने इसे अलोकतांत्रिका, अवांछनीय और राजनीतिका जागरूकता एवं भागीदारी को सुधारने में मददगार नहीं होना करार दथिा ।
- वधिआयोग ने राइट टू रकिॉल के अधिकार की मांग के साथ वजियी प्रतयाशी को मलि मत यद उपरयुक्त में से कोई नहीं (नोटा) से कम हो तो वजिता को खारजि करने का समर्थन नहीं कथिा ।
- वधिआयोग ने देश की वर्तमान आर्थिका दशा को देखते हुए सरकार की ओर से चुनावी खर्च का भी समर्थन नहीं कथिा है ।

अपनी इस रपिरट में वधिआयोग ने जनि चुनाव सुधारों के बारे में वधिार कथिा, उनमें चुनाव का सरकार की ओर से वतित-पोषण, राजनीतिका में सामप्रदायकता, नकारात्मक मतदान, उम्मीदवारों के अपराधिका रकिारड के वषिय शामिल थे ।

(टीम दृषटिइनपुट)

टी.एस. कृषणमूरतनि भी सुझाए थे चुनाव सुधार के उपाय

फरवरी 2004 से मई 2005 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एस. कृषणमूरतनि चुनाव सुधारों के तहत चुनावों में सरकारी धन के इस्तेमाल का समर्थन करते हुए राजनीतिका दलों के धन के इस्तेमाल पर प्रतबिध लगाने की बात कही थी ।

- उन्होंने अपनी सफिरशिों में राष्ट्रीय चुनाव कोष गठति करने का सुझाव भी दथिा था, जसिके तहत कंपनयिां और अन्य लोग अपना योगदान दे सकें और यह 100% करमुक्त हो ।
- सरवदलीय बैठक के ज़रयि तय कथिा जा सकता है कविभिनि चुनावों के लिये इस धन का इस्तेमाल कैसे कथिा जाए ।
- चुनावों के सरकारी वतित-पोषण के बाद कसिी भी दल को चुनाव में धन खर्च करने की अनुमतति नहीं होनी चाहयि ।
- इसके बाद भी यद राजनीतिका दल धन का भुगतान करते हैं तो 10 साल की कैद और उम्मीदवार को अयोग्य करार देने का प्रावधान हो ।
- राजनीतिका दलों के लिये एक पृथक कानून होना चाहयि, जसिके तहत नयिमन की रूपरेखा बने और इसके ज़रयि उनकी समीक्षा एवं नगरिानी हो सके । इसमें उनके आंतरिका चुनावों और वतिततीय प्रबंधन की समीक्षा तथा नगरिानी भी शामिल है ।
- अगर कोई अदालत (पुलसि नहीं) पाँच साल या इससे ज्यादा की सज़ा वाले अपराध के संदर्भ में आरोप-पत्र तय कर देती है तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दथिा जाना चाहयि । गलत उम्मीदवार इसलिये चुनावी दौड़ में आ जाते हैं, क्योक धनबल और बाहुबल चुनावों में अहम भूमिका नभिते हैं ।
- सदन के कार्यकाल का 50 प्रतशित पूरा हो जाने के बाद प्रतनिधियिों को वापस बुलाने का प्रावधान भी कथिा जा सकता है । यद सदन का कार्यकाल पाँच साल का है तो कसिी व्यक्ति को ढाई साल शांति से काम करने की अनुमतति होनी चाहयि ।
- यद कसिी व्यक्ति पर हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसे वापस बुलाने का अधिकार लोगों के पास होना चाहयि । हालाँकि वापस बुला लेना कोई हल नहीं हो सकता, लेकिन प्रतरोधक हो सकता है । ऐसा करने से बेहतर बर्ताव के लिये नरिवाचति प्रतनिधियिों की कुछ तो ज़मिमेदारी तय होगी ।

चुनाव सुधारों पर गठति वभिनिन समतियिों की प्रमुख सफिरशिं

भारत में चुनाव प्रणाली को महत्त्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया। इन विभिन्न समितियों की प्रमुख सफ़ारिशों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:

तारकंडे समिति

- वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। इसे संविधान के 61वें संशोधन द्वारा मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया।
- नरिवाचन के लिये अधिकतम वयस योग्य राशिका नरिधारण करना।
- राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव वयस का लेखा-जोखा नरिवाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें।
- चुनाव प्रत्याशी एक नशिचति नामांकन राशजिमा करें।
- इन सफ़ारिशों में बूथ कैपचरगि तथा बोगस वोटगि जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसी संदर्भ में दनिश गोस्वामी समतिगठति की गई।

दनिश गोस्वामी समति

- अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फरि से मतदान की व्यवस्था हो।
- मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटगि मशीन का प्रयोग किया जाए।
- बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए।
- नरिवाचन से संबंधति याचकिा की शीघर सुनवाई की जाए।
- यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर नरिवाचन की व्यवस्था की जाए।
- इस समतिकी सफ़ारिशों से बूथ कैपचरगि तथा बोगस वोटगि जैसी समस्याओं का समाधान हुआ। कति अभी भी चुनाव वयस से संबंधति समस्या वदियमान थी, इस संदर्भ में इंद्रजीत गुप्त समतिका गठन किया गया।

इंद्रजीत गुप्त समति

- लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का वयस सरकार द्वारा वहन किया जाए।
- ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रटिरन दाखलि करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए।
- 10,000 से अधिक चंदे की राशजिडाफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।
- इंद्रजीत गुप्त समति के बाद चुनाव सुधारों के लिये के. संथानम समति का गठन हुआ।

के. संथानम समति

- नरिवाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अरहता की व्यवस्था हो।
- सभी राजनीतिक दलों का नबिंधन हो।
- समय-समय पर नरिवाचन कषेत्रों का परसिमन किया जाए।
- नरिवाचन मंडलों के अंदर आने वाले नागरिकों की नामावली को अद्यतन बनाया जाए।

(टीम दृष्टि इनपुट)

गौरतलब है कि कई बड़े दगिगज नेता एक बार में दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों जगहों से जीत दर्ज की थी, लेकिन वाराणसी सीट को अपने पास रखा था। इसके अलावा पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित कई बड़े नेता दो जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रायः देखा यही गया है कि विशेषकर वही नेता दो सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के दावेदार होते हैं।

चुनाव सुधारों में न्यायापालिका का योगदान

संसद द्वारा पारित कानून और इनकी पूर्ति के लिये बने नियम तथा आयोग के निर्देशों की समीक्षा समय-समय पर विभिन्न महत्त्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। शीर्ष न्यायालय ने इन कानूनों को पूरक रूप देने तथा नरिवाचन प्रणाली के सुधार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- मोहदिर सहि गलि बनाम मुख्य नरिवाचन आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नरिवाचन आयोग संविधान सृजक के रूप में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रतपूरति वहाँ कर सकता है जहाँ कानून ने हमारे जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव संचालन के दौरान उत्पन्न कसिी स्थति के संबंध में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग आदर्श आचार संहति लागू कर रहा है। यह स्वतंत्र और नशिपकष चुनाव के लिये स्वयं राजनीतिक दलों द्वारा किया गया अनूठा योगदान है।
- इसी प्रकार पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि लबिर्टीज़ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को हलफनामे में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो, उसकी, पति/पत्नी और आशरति बच्चों की परसिपत्ति, उसकी शैकषणिक योग्यताओं का ब्योरा देना होगा ताकि नरिवाचक अपना प्रतनिधि चुनते समय अपनी पसंद व्यक्त कर सके।
- रसिर्जेंस इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नरिवाचन अधिकारी द्वारा बताने या स्मरण कराने के बावजूद यदि कोई उम्मीदवार हलफनामे में आवश्यक जानकारी नहीं देता है तो उसके नामांकन पत्र के जांच के समय नरिवाचन अधिकारी नामांकन पत्र को नामंजूर कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव कानून से संबंधति एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि मामले में किया गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मतदाता को नरिवाचन कषेत्र के सभी उम्मीदवारों के प्रतअसंतोष व्यक्त करने तथा नकारात्मक मत देने का अधिकार है।

इस नरिणय को लागू करने के लिये नरिवाचन आयोग ने ईवीएम में 'नोटा' का बटन जोड़ा। इस बटन को दबाकर मतदाता यह व्यक्त कर सकता है कि वह किसी भी उम्मीदवार के लिये मत देना नहीं चाहता। यह व्यवस्था मतदाताओं को गोपनीय रूप से अपनी इच्छा व्यक्त करने योग्य बनाती है।

- सुब्रमण्यम स्वामी मामले में नरिणय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वोटर वैरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का प्रावधान किया ताकि मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद एक मुद्रति पर्ची निकले जिसमें मतदाता द्वारा व्यक्त पसंद के उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिह्न होता है। इससे मतदाता स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा दिया गया मत उचित तरीके से रिकॉर्ड हुआ है और उसने अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत दिया है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नषिकरष: भारत ने संसदीय प्रणाली की सरकार की **ब्रिटिश वेस्टमनिस्टर प्रणाली** अपनाई है। हमारे जन प्रतनिधित्व कानून में यह अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फरि उपचुनाव में एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। 1996 से पहले दो से अधिक स्थानों पर चुनाव उम्मीदवारी की छूट थी और कोई व्यक्ति कतिनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के मकसद से 1996 में जन प्रतनिधित्व कानून में संशोधन करके अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ने का नयिम बनाया गया। मगर इससे भी नरिवाचन आयोग को छोड़ी गई सीटों पर दुबारा चुनाव कराने के लिये बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दोबारा वही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, फरि से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन को नाहक अपना तय कामकाज रोक कर चुनाव प्रक्रिया में भाग-दौड़ करनी पड़ती है। आम जनता भी इससे परेशान होती है, इसलिये लंबे समय से मांग की जाती रही है कि इस नयिम में बदलाव कर एक उम्मीदवार-एक सीट का सिद्धांत लागू होना चाहिये। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये दो स्थानों से चुनाव लड़ना और जीत जाने के बाद किसी एक स्थान से इस्तीफा दे देना हमारी चुनाव प्रक्रिया की बड़ी खामी है, जिस पर रोक लगाने से लोकतंत्र और मज़बूत होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/representation-of-people-act>

